<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-10/2025/497/तीस-4-2025</u>

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 07 मई, 2025

विषयः- जनपद- झाँसी में वाहनों के फिटनेस परीक्षण एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र के निर्गमन हेतु पुरानी परिवहन प्रणाली पहुँच (Old Parivahan System Access) को पुनः प्रभावी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से सम्बंधित अवर सचिव, परिवहन अनुभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-आरटी-23013/2/2023-टी, दिनांक 22.04.2025 एवं तत्क्रम में प्रेषित परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-230वै0स0/प0आ0/2025, दिनांक 06.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के संदर्भित पत्र दिनांक 06.05.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 22.04.2025 के अनुसार, ऐसे सभी जनपदों में जहाँ स्वचालित परीक्षण स्टेशन (ATS) कार्यरत हैं, वहां दिनांक 01 मई, 2025 से फिटनेस परीक्षण की पारंपरिक प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है तथा यह निर्देशित किया गया है कि फिटनेस प्रमाण-पत्र केवल एटीएस के माध्यम से ही निर्गत किया जाये।

उक्त के क्रम में, जनपद झाँसी में मे0 नारायणी टेक्नोलॉजी, अम्बाबाय ग्वालियर रोड को विभाग द्वारा अधिकृत किया गया था, किन्तु उक्त एटीएस के विरुद्ध शासन स्तर पर प्राप्त अनेक शिकायतों के आधार पर जिलाधिकारी के निर्देश पर दिनांक 02.05.2025 को थाना सीपरी बाजार, झाँसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके पश्चात पुलिस द्वारा एटीएस से सम्बद्ध कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वर्तमान में उक्त एटीएस का संचालन पूर्णतः बंद है और जनपद झांसी में व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस परीक्षण की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

उक्त स्थिति के कारण जनपद में पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों के स्वामियों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यातायात संचालन और सवारियों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। इस संबंध में आयुक्त, झाँसी मण्डल द्वारा दिनांक 05.05.2025 को प्रेषित पत्र में अनुरोध किया गया है कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जब तक झाँसी एटीएस का संचालन पुनः प्रारंभ नहीं हो जाता, तब तक पुराने स्वरूप में, अर्थात् सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय से ही फिटनेस प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही, झाँसी मण्डल के अन्य जनपदों जैसे जालौन एवं ललितपुर में झाँसी में पंजीकृत वाहनों के फिटनेस परीक्षण की अनुमति भी प्रदान की जाए।

http://shodh.gov.up.gov.in

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपद झांसी स्थित एटीएस के सुचारू रूप से संचालित होने तक वाहनों के फिटनेस परीक्षण किये जाने एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु पुरानी परिवहन प्रणाली पहुँच (Old Parivahan System Access) को पुनःप्रभावी करते हुए, तदनुसार राज्य सरकार को कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या-10 /2025/497(1)/तीस-4-2025, तद्दिनांक:-

उक्त की प्रतिलिपि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र संख्या-230वै0स0/प0आ0/2025, दिनांक 06.05.2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in